

कार्यवाही

आज दिनांक 10/3/2021 को पूर्व सूचना के अनुसार रामकास सिंह रामानन्द सिंह चैरिटेबुल ट्रस्ट 83- एच. आर्.डी. जी., आवास विकास बालोनी चौधम-2 इसी प्रयोगशाला के पर्याय में सरस्वती पदाधिकारी एवं सदस्य गण उपस्थित हैं, कोरम पूर्ण है इसी मद्देय की अनुमति से कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

पिछली कार्यवाही पढ़कर सुनाई गयी उपस्थित सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने समर्थन दिया

श्री पंकज कुमार सिंह जी मैनेजिंग ट्रस्टी पद से आज स्वच्छ मन से बिना किसी दबाव में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है।

श्री नीरज कुमार सिंह जी ने रिक्त मैनेजिंग ट्रस्टी पद पर श्री धीरेन्द्र सिंह जी के नाम की संस्तुती किया जिसपर सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने एक स्वर में सहमती व्यक्त किया।

अब कोई ब्यारणीय विषय न होने के कारण बैठक समाप्त की गयी।

क्रम सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर
1	श्री हरिवन्द सिंह	ट्रस्टी	
2	श्री धीरेन्द्र सिंह	मैनेजिंग ट्रस्टी	
3	श्री नीरज कुमार सिंह	सचिव/ट्रस्टी	
4	श्री पंकज कुमार सिंह	ट्रस्टी	
5	श्री मदनमना सिंह	31	
6	श्री महानन्द सिंह	11	
7	श्री मती अजा सिंह		
8	श्री बेल्ल सिंह		

रामकास सिंह चैरिटेबुल ट्रस्ट
 83-एच. आर्.डी. जी., आवास विकास बालोनी चौधम-2
 दिनांक 10/3/2021

10/12/17



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



DU 505514

80

13/11/17

रामदास सिंह रामानन्द सिंह चैरिटेबुल ट्रस्ट ट्रस्ट-विलेख

मैं पंकज कुमार सिंह पुत्र श्री धीरेन्द्र सिंह, निवासी 87, एच0आई0जी0, आवास विकास कालोनी, योजना-2, थाना-शुंसी, तहसील-फूलपुर, जिला-इलाहाबाद (उप्र0) का भारतीय नागरिक हूँ। ओ०९८२४०१५०१५ अथवा 2३५०९७१२०७२३
हाल पता - 74, अशोक बाग, शहर, इलाहाबाद।
ट्रस्ट निर्माण की प्रकल्पना:

मेरे पूज्य बाबा स्व0 रामदास सिंह व स्व0 रामानन्द सिंह जो समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार के शैक्षिक एवं कल्याणकारी कार्यों में सलिल थे, उन्हीं के विचारों एवं कार्यों से ओतप्रोत होकर उपरोक्त कार्यों एवं उद्देश्यों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ाने को आतुर हूँ।

जिसके लिए मैं एक ट्रस्ट के निर्माण की अत्यन्त ही आवश्यक समझता हूँ।

Pankaj
[Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 918693

[2]

अतः आज दिनांक 11/10/2021 को मैं एकज कुमार सिंह, ट्रस्टकर्ता के रूप में रुपये 11,000/- (ग्यारह हजार रुपये मात्र) प्रदान कर "रामदास सिंह रामानन्द सिंह चैरिटेबुल ट्रस्ट" सृजित करता हूँ, उपरोक्त राशि ट्रस्ट कोष के रूप में उसकी स्थायी सम्पत्ति होगी। जो ट्रस्ट के बैंक खाते में स्थाई रूप से जमा रहेगी। ट्रस्ट का एक आजीवन मैनेजिंग ट्रस्टी होगा। जिसे ट्रस्ट की ओर से सम्पत्तियों के क्रय-विक्रय करने, किराये पर देने व लेने, लीज पर देने व लेने तथा अनुदान लेने व देने के अभिलेखों पर निर्णय एवं हस्ताक्षर करने एवं राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था से लोन लेने का विधिक/न्यायिक अधिकार होगा। अन्य ट्रस्टियों को नियुक्त करना, ट्रस्टी मण्डल का गठन करना, ट्रस्टियों को हटाने तथा ट्रस्टी मण्डल को भंग करने की संस्तुति पर पुनः गठन का अधिकार मैनेजिंग ट्रस्टी को होगा।

मैं मैनेजिंग ट्रस्टी अपने जीवनकाल में किसी भी व्यक्ति को मैनेजिंग ट्रस्टी नामित कर सकता हूँ जो मेरे बाद मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्य करेगा। नामित न करने की दशा में मैनेजिंग ट्रस्टी का चयन तात्कालीन ट्रस्टियों द्वारा सर्वसम्मत या बहुमत से होगा।

File



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 918694

[3]

ट्रस्ट का विवरण इस प्रकार है:-

- 1- ट्रस्ट का नाम : "रामदास सिंह रामानन्द सिंह वैरिटेबुल ट्रस्ट" होगा।
- 2- ट्रस्ट का मुख्यालय : 87, एच0आई0जी0, आवास विकास कालोनी, योजना-2, थाना-धूसी, तहसील-फूलपुर, जिला-इलाहाबाद (उ0प्र0) तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा। आवश्यकतानुसार मैनेजिंग ट्रस्टी के पास यह अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट के मुख्यालय को किसी अन्य स्थान पर परिवर्तित कर सकता है। ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए, मैनेजिंग ट्रस्टी, ट्रस्ट के और भी सह-कार्यालय भारतवर्ष में तथा विदेशों में किसी भी स्थान पर खोलने व बन्द करने एवं स्थान परिवर्तित करने का भी विधिक अधिकार होगा।
- 3- ट्रस्ट के उद्देश्य:
 - 1- शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, तकनीकी विद्यालय, शिक्षक-प्रशिक्षण कॉलेज, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मैनेजमेन्ट कालेज, विधि कॉलेज, बी0एड0 कॉलेज, पालीटेक्निक कॉलेज, फारमेसी कॉलेज, ब्रायोटेक संस्थान, चिकित्सा/मेडिकल कॉलेज एवं अन्य शैक्षणिक महाविद्यालय व संस्थाओं आदि को स्थापित एवं संचालित करना व करवाना।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 918695

[4]

- 2- गरीब/निर्धन छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावासों का निर्माण करना व व्यवस्था करना वृद्धाश्रम एवं अनाथालय का निर्माण करना, व्यवस्था करना एवं संचालन करना व करवाना।
- 3- चिकित्सालय, नर्सिंग होम, मैटरनिटी होम, मेडिकल स्टोर आदि का निर्माण एवं संचालन करना व करवाना।
- 4- नेत्र एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी शिविरो का आयोजन करना व करवाना।
- 5- विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के शिक्षण कार्य/शिक्षा का प्रबन्ध करना व करवाना।
- 6- विकलांग फेडरों की स्थापना एवं संचालन करना व करवाना।
- 7- दलितों एवं पिछड़े/कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान हेतु विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापित कर उन्हें आत्म-निर्भर बनाना।
- 8- अन्य समितियों/ट्रस्ट द्वारा हस्तान्तरित विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य शैक्षिक शिक्षण व अन्य संस्थाओं का नियमानुसार ग्रहण करना एवं संचालन करना व करवाना तथा उनकी सम्पत्तियों आदि को रामदास सिंह रामानन्द सिंह ट्रस्ट के नाम हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही करना व करवाना।
- 9- धार्मिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन तथा उनका प्रबन्धन करना व करवाना।



भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 918696

[5]

- 10- शिक्षा और अनुसंधान के प्रसार के लिए समारोह, व्याख्यान, वाद-विवाद तथा चर्चा, सेमिनार का आयोजन करने के लिए इंजीनियरों, डॉक्टरों और शोधकर्ताओं के अंतरराष्ट्रीय गठबन्धन (International Alliance of Engineers, Doctors and Researchers) [IAEDR] का निर्माण करना तथा इसे देश व विदेशों में संचालित करना व करवाना।
- 11- शिक्षा और अनुसंधान के प्रसार के लिए साहित्य, शोध-पत्र, पत्रिकाओं, सम्मेलन कार्यवाही किताब, और पुस्तकों का सम्पादन एवं प्रकाशन तथा इसे देश व विदेशों में वितरण करना तथा क्रय विक्रय करना व करवाना।
- 12- ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए दान, ऋण, छूट, सहायता, अनुदान आदि धन या वस्तु के रूप में प्राप्त करना।
- 13- सामाजिक सौहार्द के लिए कार्य करना व करवाना।
- 14- महिला, युवा, बाल एवं कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु प्रशिक्षण एवं रोजगार उन्मुख कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करना।
- 15- समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों महानुभावों के सम्मान में शीष्टियों का आयोजन करना तथा उन्हें स्मृति-पदक देकर सम्मानित करना व करवाना।

Signature

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 918697

[6]

- 16- अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करना व करवाना।
- 17- विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों, स्वयंसेवी सस्थाओं राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर मानव विकास हेतु मिलकर कार्य करना तथा उपरोक्त संस्थाओं से दान सहायता एवं अनुदान राशि प्राप्त करना तथा उसे ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किये गये कार्यों में व्यय करना व करवाना।
- 18- विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु शोध-प्रशिक्षण, गोष्ठी, सेमिनार एवं सम्मेलन का आयोजन एवं प्रचार सम्बन्धी गतिविधियों का संचालन करना।
- 19- विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु शोध-पत्र, पत्रिकाओं, सम्मेलन कार्यवाही पुस्तक, शोध-पत्रिकाओं और पुस्तकों का सम्पादन एवं प्रकाशन करना तथा इसे देश व विदेशों में वितरण तथा क्रय-विक्रय करना व करवाना।
- 20- कृषि विकास भूमि सुधार एवं जल संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों का प्रचार एवं प्रसार करना व करवाना।
- 21- ट्रस्ट के उद्देश्यों व संचालन हेतु समयानुसार अन्य कार्यों को संचालित करना व करवाना।

Path

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 918698

[7]

22- किसानों के लिए कृषि विकास हेतु समस्त कार्यों को करना व करवाना।

23- समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कानूनी सहायता देना, कानूनी मदद करना व करवाना।

24- सामाजिक उत्थान हेतु कृषि आधारित उद्योग, फल, सब्जी व अन्य खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु उद्योगों एवं अन्य उद्योगों को स्थापित करना, संचालित करना व करवाना।

4- ट्रस्ट की आय: ट्रस्ट की आय उसकी स्थायी कोष में जमा राशि एवं उसका व्याज, लाभान्श, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी संस्थाओं द्वारा अनुदान, जन-प्रतिनिधियों द्वारा दी गयी सहायता राशि, उदार व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चल-अचल सम्पत्ति, जनप्रतिनिधियों द्वारा ली गयी सदस्वता शुल्क, ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं द्वारा प्राप्त धनराशि तथा ट्रस्ट की अन्य सम्पत्तियों एवं कार्यों से प्राप्त धनराशि आदि से होगी। जिसका उपयोग ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं ट्रस्ट के विस्तार के कार्यों में किया जायेगा।

5- ट्रस्ट के खाते का रखरखाव व संचालन: ट्रस्ट की समस्त आय किसी मान्यता प्राप्त बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक एवं/या डाकघर में ट्रस्ट के नाम बचत एवं/या चालू खाता खोलकर रखा जायेगा। इस खाते का संचालन ट्रस्टी मण्डल के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

P Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 918699

[8]

6- ट्रस्ट का गठन:-

ट्रस्ट के उद्देश्यों में रुचि एवं आस्था रखने वाले महानुभावों को ट्रस्ट का संस्थापक ट्रस्टी नियुक्त किया गया है, जो इस प्रकार है:-

क्र.सं.	ट्रस्टी का नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	पता
1.	फंछन कुमार सिंह	श्री धीरेन्द्र सिंह	मेनेजिंग ट्रस्टी	87, एच0आई0जी0, आवास विकास कालोनी, योजना-2, हूँसी, इलाहाबाद।
2.	वीरज कुमार सिंह	श्री धीरेन्द्र सिंह	ट्रस्टी	87, एच0आई0जी0, आवास विकास कालोनी, योजना-2, हूँसी, इलाहाबाद।
3.	वल्लभा सिंह	श्री पुष्पेन्द्र सिंह	ट्रस्टी	ग्राम-बरिवारी, पोस्ट-मलावों खुर्द, फूलपुर, इलाहाबाद।
4.	धीरेन्द्र सिंह	स्व0 रामदास सिंह	ट्रस्टी	ग्राम-मुन्तजीपुर, पो0-हनुमानगंज, इलाहाबाद।
5.	हरिश्चन्द्र सिंह	स्व0 कामला सिंह	ट्रस्टी	87, एच0आई0जी0, आवास विकास कालोनी, योजना-2, हूँसी, इलाहाबाद।
6.	महानन्द सिंह	स्व0 राजाराम सिंह	ट्रस्टी	ग्राम-चक खुतब, पो0-सहसो, इलाहाबाद।
7.	बेला सिंह	स्व0 नाला शरण सिंह	ट्रस्टी	ग्राम-बरिवारी, पोस्ट-मलावों खुर्द, फूलपुर, इलाहाबाद।
8.	जया सिंह	श्री धीरेन्द्र सिंह	ट्रस्टी	ग्राम-मुन्तजीपुर, पो0-हनुमानगंज, इलाहाबाद।

Handwritten signature



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 918700

[9]

उपरोक्त दस (कुल 08) ट्रस्टी इस ट्रस्ट के आजीवन ट्रस्टी होंगे, जो वर्तमान ट्रस्टी मण्डल का गठन करेंगे।

7- ट्रस्टियों की नियुक्ति:

वर्तमान आजीवन ट्रस्टियों के अतिरिक्त नये ट्रस्टियों/रिक्त ट्रस्टियों के पदों पर 18 वर्ष से अधिक आयु एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों में रुचि रखने वाले समाज के हर वर्ग के व्यक्तियों को मैनेजिंग ट्रस्टी ही ट्रस्टी नियुक्त कर सकता है।

8- ट्रस्ट की साधारण सभा: ट्रस्ट के वर्तमान आजीवन सदस्यों एवं तत्पश्चात् नियुक्त ट्रस्टी ट्रस्ट की साधारण सभा के सदस्य होंगे।

9- ट्रस्टी मण्डल (GOVERNING BOARD OF TRUSTEE) का गठन एवं उद्देश्य:

1- ट्रस्टी मण्डल का गठन वर्तमान आजीवन ट्रस्टियों द्वारा किया जायेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुमोदन के बाद ही सामाजिक व्यक्तियों को ट्रस्टी मण्डल का ट्रस्टी सदस्य बनाया जा सकता है।

2- ट्रस्ट एवं उसके द्वारा संचालित संस्थाओं के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, आजीवन ट्रस्टी एक ट्रस्टी मण्डल (GOVERNING BOARD OF TRUSTEE) का गठन करेंगे। ट्रस्टी मण्डल में ट्रस्टी सदस्यों की न्यूनतम संख्या 3 हो

Handwritten signature



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 912794

[10]

सकती है। ट्रस्टी मण्डल में ट्रस्टी सदस्यों की न्यूनतम संख्या को बढ़ाने के लिए मैनेजिंग ट्रस्टी का अनुमोदन या ट्रस्टी मण्डल के सर्वसम्मति या बहुमत के निर्णय के बाद ही किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण- वर्तमान आजीवन सदस्यों के समाप्त होने या संख्या कम होने की स्थिति में ट्रस्ट की साधारण सभा के ट्रस्टी ही ट्रस्टी मण्डल का गठन करेंगे।

3- ट्रस्ट एवं उसके द्वारा समस्त संचालित संस्थाओं और सह संस्थाओं की समस्त सम्पत्ति ट्रस्ट में निहित होगी। ट्रस्टी मण्डल इस सम्पत्ति को आवश्यकतानुसार ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा करेगा, देखभाल करेगा, प्रबंधन करेगा तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इसका उपयोग व उपभोग करेगा। ट्रस्टी मण्डल द्वारा सर्वसम्मति अथवा बहुमत से लिए गये निर्णयों के अन्तर्गत सभी कार्य सम्पादित होंगे।

10- ट्रस्टी मण्डल के पदाधिकारी:

ट्रस्ट की गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालन तथा ट्रस्टी मण्डल के गठन हेतु निम्न पद एवं पदाधिकारी होंगे:-

P. S. K.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 912793

[11]

अध्यक्ष- पंकज कुमार सिंह पुत्र श्री धीरेन्द्र सिंह, निवासी 87, एच0आई0जी0, आवास विकास कालोनी, योजना-2, जिला-इलाहाबाद।

सचिव- नीरज कुमार सिंह पुत्र धीरेन्द्र सिंह, निवासी- 87, एच0आई0जी0, आवास विकास कालोनी, योजना-2, जिला-इलाहाबाद।

कोषाध्यक्ष- धीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 रामदास सिंह, निवासी ग्राम-मुन्जीपुर, पोस्ट-हनुमानगंज, जिला-इलाहाबाद।

उपरोक्त पदाधिकारी सचिव व कोषाध्यक्ष अपने जीवन काल तक अपने पदों पर बने रहेंगे। जब तक कि उन्हें मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा पदच्युत न किया जाय। ट्रस्टी मण्डल के अध्यक्ष पद पर मैनेजिंग ट्रस्टी ही सदैव पदेन होगा तथा शेष दो अन्य पदों का चयन ट्रस्टी द्वारा ट्रस्टियों में से ही किया जायेगा, जिनका अनुमोदन मैनेजिंग ट्रस्टी करेगा। यदि मैनेजिंग ट्रस्टी अनुमोदन नहीं करता तो वह अन्य ट्रस्टी की उक्त पद पर नियुक्ति करेगा।

11- ट्रस्टी एवं ट्रस्टी मण्डल की सदस्यता समाप्ति:

- 1- ट्रस्टी के त्याग पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर।
- 2- ट्रस्ट के उद्देश्य के विपरित कार्य करने पर।

[Handwritten signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[12]

23AA 204325

3- शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम होने पर।

4- अध्यक्ष को बिना लिखित बताये, ट्रस्टी मण्डल की तीन लगातार बैठकों में भाग न लेने पर।

5- मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी ट्रस्टी को बिना कारण बताये, उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है तथा उसके स्थान पर किसी अन्य सामाजिक व्यक्ति को ट्रस्टी बना सकता है।

6- मैनेजिंग ट्रस्टी को यह विशेषाधिकार होगा कि वह ट्रस्ट में रिक्त/अतिरिक्त पदों पर ट्रस्टियों की नियुक्त करे या न करे।

12- ट्रस्टी मण्डल की बैठकें:

ट्रस्टी मण्डल की वर्ष में कम से कम एक बार बैठक हुआ करेगी। आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्टी मण्डल की अन्य बैठकें भी हो सकती हैं। ट्रस्टी मण्डल की बैठक की लिखित सूचना एवं एजेण्डा कम से कम एक सप्ताह पूर्व प्रत्येक ट्रस्टी को प्राप्त करा दी जावेगी। आकस्मिक बैठकें एक दिन के अन्दर बुलाई जा सकती हैं। आपात स्थिति में ट्रस्ट सम्बन्धी त्वरित निर्णय मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा लिया जा सकता है। जिसका ट्रस्टी मण्डल की बैठक बुलाकर अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ट्रस्टी मण्डल की

Signature

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[13]

23AA 204326

बैठक का कोरम कम से कम 1/2 सदस्यों की उपस्थिति से होगा। किन्तु स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

13- ट्रस्टी मण्डल के पदाधिकारियों के अधिकार एवं दायित्व :-

अध्यक्ष:

अध्यक्ष ट्रस्टी मण्डल की बैठकों को आहूत करने के लिए सचिव को निर्देश देगा, तथा उसकी अध्यक्षता करेगा। वह मतदान में भाग नहीं लेगा। वह ट्रस्टी मण्डल के निर्णयों की घोषणा करेगा। बराबर मतों की स्थिति में उसका मत निर्णायक एवं सर्वमान्य होगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित वरिष्ठतम ट्रस्टी उसके दायित्वों का निर्वहन करेगा।

सचिव:

सचिव ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। वह अध्यक्ष के निर्देश पर बैठक आहूत करेगा, ट्रस्ट की बैठक की कार्यवाहियों का अभिलेखन करेगा तथा ट्रस्ट के समस्त अभिलेखों को ट्रस्ट कार्यालय में सुरक्षित रखेगा। ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट द्वारा स्थापित एवं संचालित संस्थाओं को आवश्यक निर्देश देगा तथा उसका पालन सुनिश्चित करेगा, ट्रस्ट के समस्त निर्णयों का क्रियान्वयन करेगा। माननीय न्यायालय,

Sign

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20



Rs. 20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[14]

23AA 204327

सरकार अथवा अन्यत्र कर्तव्य भी ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/ट्रस्टी मण्डल के निर्णय अनुसार ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं में कर्मचारियों के पदों का सृजन करेगा, उस पर नियुक्ति, उनका वेतन, परिश्रामिक, भत्ता तथा वैयक्तिक मजदूरी का निर्धारण आदि कार्य करेगा तथा उसकी सूचना संबंधित संस्था के प्रभान को देगा। वह ऐसे समस्त कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगा, जो उसे मैनेजिंग ट्रस्टी/ट्रस्टी मण्डल द्वारा समय-समय पर करने के लिए अधिकृत किया जायेगा। सचिव की अनुपस्थिति में कोषाध्यक्ष उस बैठक में सचिव के दायित्वों का निर्वहन करेगा।

कोषाध्यक्ष:

कोषाध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से उदारमना व्यक्तियों द्वारा दान, ट्रस्ट सम्पत्तियों का किराया, ट्रस्ट सम्पत्तियों की विक्रय धनराशि, सरकारी तथा अर्द्धसरकारी संस्थाओं द्वारा अनुदान, जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्त अनुदान राशि आदि प्राप्त करेगा, तथा उसे ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा करेगा तथा उसका लेखा-जोखा रखेगा। उपरोक्त राशि ट्रस्ट के उद्देश्य पूर्ति हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी/ट्रस्टी मण्डल के निर्देशानुसार उपयोग व उपभोग की जायेगी। ट्रस्ट का वार्षिक बजट तैयार कर ट्रस्टी मण्डल की वार्षिक बैठक

File

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[15]

23AA 204328

में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। ट्रस्टी मण्डल के समस्त वित्तीय पत्रागतों का लेखा परीक्षण करायेगा तथा उसकी रिपोर्ट ट्रस्टी मण्डल की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत करेगा। लेखा एवं बैंक सम्बन्धी समस्त पत्रागत ट्रस्ट कार्यालय में सुरक्षित रखेगा।

14- मैनेजिंग ट्रस्टी/ट्रस्टी मण्डल के अधिकार :

1- किसी मान्यता प्राप्त बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक या/व डाकघर में अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालित ट्रस्ट के नाम खाता खोलने हेतु निर्णय लेना।

2- ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के नियमों, परिनियमों, उद्देश्यों आदि में संशोधन करना, नये नियम बनाना, तथा अनुपयोग हो चुके नियमों को समाप्त करना तथा उनके संचालन हेतु समितियों व उपसमितियों व नियमों, उपनियमों को बनाना व संशोधित करना।

3- ट्रस्ट के कार्यों हेतु कर्मचारियों को नियुक्ति करना, उनके वेतन का भुगतान करना तथा न्यायोचित कारणों से उन्हें पदच्युत करना।

Handwritten signature



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20



Rs. 20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[16]

23AA 204329

- 4- ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं में नियुक्त कर्मचारियों को अन्य संचालित संस्थाओं में हस्तान्तरित (न्वेंगेन्ग) करना।
- 5- ट्रस्ट अथवा उसके द्वारा संचालित संस्थाओं के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर उन्हें दण्डित करना तथा उन्हें परज्युत करना।
- 6- ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के प्रबन्धन हेतु प्रबन्ध समिति के गठन हेतु संविधान/नियमावली बनाना तथा आवश्यकता पड़ने पर बने हुए संविधान, नियमावली में संशोधन करना।
- 7- ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था की, ट्रस्ट के उद्देश्यों के विरुद्ध कार्य करने वाली अथवा विवादित प्रबन्ध समिति को भंग कर उनके स्थान पर दूसरी प्रबन्ध समिति का गठन करना तथा उसके गठन होने तक संस्था का प्रबन्धन ट्रस्टी मण्डल के सचिव द्वारा करना।
- 8- ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के समस्त वादों/विवादों का निपटारा करना।
- 9- ट्रस्ट के विरुद्ध समस्त वाद मा10 न्यायालय, इलाहाबाद के कार्यक्षेत्र में निहित होगा।

Handwritten signature



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20



Rs. 20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[17]

23AA 204330

15- ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं का सविधान :-

ट्रस्ट में निहित समस्त कार्यों को संचालित करने हेतु सुचारु प्रबंधन हेतु एक प्रबंध/कार्यकारिणी समिति निम्न प्रकार से गठित होगी जिसके पदाधिकारी निम्न प्रकार होंगे:-

अध्यक्ष	-	एक
उपाध्यक्ष	-	एक
प्रबंधक/सचिव	-	एक
उपप्रबंधक/उपसचिव	-	एक
कोषाध्यक्ष	-	एक
सदस्य	-	दो से चार
संस्था का प्रधान	-	एक (पदेन)
संस्था प्रतिनिधि	-	नियमानुसार नामित।
संस्था कर्मचारी प्रतिनिधि-	-	नियमानुसार नामित।

उपरोक्त प्रबन्ध समिति/कार्यकारिणी समिति के पदेन एवं नामित सदस्यों को छोड़कर शेष का चयन ट्रस्टी मण्डल/मैनेजिंग ट्रस्टी की देख-रेख में अपने ट्रस्टियों/मैनेजिंग ट्रस्टी में से ही 5 वर्ष के लिए किया जायेगा। यदि कोई पद अपने

Prish



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[18]

23AA 204331

आप अथवा किसी कारणों से हटा दिये जाने के फलस्वरूप रिक्त हो जाता है, तो उस पर नये पदाधिकारी का चयन ट्रस्टियों व सामाजिक व्यक्तियों में से ट्रस्टी मण्डल/मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा शेष अवधि के लिए किया जायेगा। प्रबन्ध समिति को बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी, आवश्यकता पड़ने पर अन्य बैठकें भी हो सकती है। जिसके लिए सूचना एवं एजेण्डा एक सप्ताह पूर्व सदस्यों को प्रबन्धक द्वारा प्राप्त कराना होगा। आवश्यकता पड़ने पर आकास्मिक बैठक कभी भी एक दिन के अन्दर हो सकती है। आपातकाल में प्रबंधक द्वारा स्वयंसेवक से निर्णय लिया जा सकता है। जिसका बाद में प्रबंध समिति का अनुमोदन अनिवार्य होगा। उस प्रबन्ध समिति के समस्त निर्णयों से ट्रस्टी मण्डल/मैनेजिंग ट्रस्टी को अवगत कराकर उसकी सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उसके बाद ही वह उसे क्रियान्वित कर सकता है। ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्था/संस्थाओं के खाते/खातों का संचालन किसी मान्यता प्राप्त बैंक, राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक एवं/वा डाकघर में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा। जिसका संचालन प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष व ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित व्यक्ति में से दो के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

[Handwritten signature]



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

Rs. 20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[19]

23AA 204332

16- प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं दायित्व :-

अध्यक्ष :-

प्रबन्ध समिति की बैठकों को आहूत करने के लिए प्रबन्धक को निर्देश देना, बैठकों की अध्यक्षता करना, समिति के निर्णयों की घोषणा करना। अनिर्णय की स्थिति में बैठक की कार्यवाही ट्रस्टी मण्डल को संदर्भित करना तथा उसके निर्णय प्राप्त होने पर समस्त सदस्यों को निर्णय से अवगत कराने के लिए प्रबन्धक को निर्देशित करना।

उपाध्यक्ष :-

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन करना।

प्रबन्धक/सचिव:-

प्रबन्धक अध्यक्ष के निर्देश पर प्रबन्ध समिति की बैठक आहूत करेगा। तथा बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व सदस्यों को एजेण्डा सहित प्राप्त करायेगा। वह संस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। वह बैंक से लेन-देन, पत्र व्यवहार, न्यायालयीय कार्य, नियुक्तियां, धेनन वितरण, क्रय-विक्रय, अनुशासनात्मक कार्यवाहियां आदि करेगा। वह बैठक की कार्यवाही का अभिलेखन करेगा तथा उससे संबंधित समस्त पत्राजातों का रख-रखाव करेगा। संस्था अथवा प्रबंध समिति में किसी प्रकार के विवाद के सम्बन्ध में वह ट्रस्टी मण्डल को अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगा तथा ट्रस्टीमण्डल द्वारा लिये गये निर्णय को कार्यान्वित करेगा।

Rich





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[20]

23AA 204333

उपप्रबंधक/उपसचिव :-

प्रबंधक की अनुपस्थिति में उसके समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगा।

कोषाध्यक्ष :-

निधियों का संरक्षण करना, वित्तीय नीति निर्धारण एवं वित्तीय विषयों पर संस्तुति प्रदान करना, बैंक खाते का लेखा-गोखा रखना।

17- विधिक कार्यवाही व क्षेत्राधिकार: ट्रस्ट के लिए व ट्रस्ट के विरुद्ध कोई भी विधिक कार्यवाही ट्रस्ट के नाम से की जायेगी और ट्रस्ट की ओर से मैनेजिंग ट्रस्टी प्रत्येक अभिलेखों पर अपने हस्ताक्षर से प्रस्तुत करेंगे तथा मैनेजिंग ट्रस्टी मुकदमों व कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से भाग लेने के लिए किसी अन्य ट्रस्टी को भी अधिकृत कर सकता है।

18- ट्रस्ट-संविधान में संशोधन :-

ट्रस्टी मण्डल के 2/3 के बहुमत से ट्रस्ट-संविधान में संशोधन कर सकता है। उसमें कुछ जोड़ सकता है तथा उसके कुछ अंश जो विधि सम्मत न हों, को हटा सकता है। उपरोक्त के लिए बैठक की सूचना ट्रस्टियों को कम से कम 15 दिन पूर्व प्राप्त कराना आवश्यक होगा। ट्रस्टी मण्डल मैनेजिंग ट्रस्टी को उपरोक्त संशोधनों एवं परिवर्तनों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए अधिकृत करेगा।

[Handwritten signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[21]

23AA 204334

यह कि इस ट्रस्ट का मूल्यांकन मु० 1,1000- स्वयं है जिस पर नियमानुसार स्थाप्य शुल्क अदा किया जा रहा है।

अतएव मैं अपने स्वस्थ मस्तिष्क एवं होशो-हवात से यह ट्रस्ट विलेख (TRUST DEED) लिख दिया कि सन्द् रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।



दिनांक:

ट्रस्टकर्ता/मैनेजिंग ट्रस्टी

गवाह:- 1 RAS KUMAR SINGH
1 S/o JMI SINGH
DARSYAPUR WRF GOLALPUR,
NETAJI SUBHAS MARG
गवाह:- 2 1080 38060, 4738 0513 5310
एन० व० सि० ३/१०००००० (आधार)
ग्राम- २००१ (बेराकपुर) लखीमपुर
कोश ३१५२१५५४, ११५५७८८३, ५३१९

(पंकज कुमार सिंह)



गसविदाकर्ता:

सतजोष कुमार मुख्तार कलकत्ता इन्डिया
मो० 9615636418

टाईपकर्ता :

क्रमांक 139 दिनांक 10/10/2017 प्रायोजक
स्टाम्प केता का नाम श्री. वी. वी. भारती
पता 87, इलाहाबाद जिला-इलाहाबाद
स्टाम्प किं. राजेन्द्र कुमार श्रीलाल
12 इलाहाबाद जिला-इलाहाबाद
नं० 531 अवाधि 31 मार्च 2018

Handwritten signature and scribble.

आज दिनांक 11/10/2017 को
वही सं. 4 जिल्द सं. 59
पृष्ठ सं. 97 से 138 पर क्रमांक 101
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


वीरेन्द्र कुमार भारती
उपनिबंधक-फूलपुर
इलाहाबाद
11/10/2017

